

# एजुकेशन प्रोवाइडर डिफॉल्ट के बाद

# विद्यार्थी सहायता प्रक्रिया

आपका शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदाता:

* उस कोर्स को बंद कर देता है या शुरू करने में विफल रहता है जिसमें आपने नामांकन करवाया था, अथवा कोर्स के बीच में ही कोर्स ऑफर करना बंद कर देता है; और
* प्रदाता आपकी ट्यूशन फीस रिफंड करने में सक्षम नहीं है, सक्रिय रूप से आपकी ट्यूशन फीस रिफंड नहीं कर रहा है, या किसी अन्य प्रदाता के साथ आपकी पढ़ाई पूरी करने का प्रबंध नहीं कर रहा है।

TPS इसे **'प्रोवाइडर डिफॉल्ट'** कहता है।



**TPS** आपके द्वारा अपने प्रदाता को दिए गए संपर्क विवरणों के साथ आपसे संपर्क करता है।

**TPS** आपको एक सूचना सत्र में भाग लेने का आमंत्रण भेजता है ताकि यह सलाह दी जाए कि आगे क्या करना है और आपको यह दिखाए कि TPS Online केस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग कैसे करना है।

**TPS** आपको लॉग इन करने के लिए एक ई-मेल भेजता है। **आप** [www.tps.gov.au](http://www.tps.gov.au) के माध्यम से TPS Online को ऐक्सेस कर सकते/ती हैं।

**आप** TPS Online पर लॉग इन करते/ती हैं।

TPS Online में, **आपको** अपना पासवर्ड बदलना होगा, यह बताना होगा कि क्या आपका प्रदाता आपके लिए अपने दायित्व पूरे करता है, फोटो का पहचान-पत्र (पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस) अपलोड करना होगा, और अपने संपर्क विवरण अपडेट करने होंगे।



**TPS** किसी वैकल्पिक ऑस्ट्रेलियाई प्रदाता के साथ आपकी शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने/जारी रखने के लिए उचित विकल्प खोजने में आपकी सहायता कर सकता है।

यदि कोई उचित वैकल्पिक प्रदाता का पता नहीं मिलता है, या कोर्स ट्रांसफर अवधि समाप्त हो गई है, तो **TPS** आपके द्वारा भुगतान की गई किसी ऐसी फीस के रिफंड के लिए आपके क्लेम का आकलन करेगा जिसे पहले से ही आपके प्रदाता द्वारा आपकी शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रदान करने में प्रयुक्त न किया जा चुका हो।

TPS इसे **'खर्च न की गई ट्यूशन फीस'** कहता है।

**आपको** TPS को वह आर्थिक दस्तावेज़ देने की ज़रूरत होगी जिसमें आपकी कोर्स फीस और आपके प्रदाता (और आपके एजेंट, यदि कोई हो तो) को किए गए सभी भुगतानों का प्रमाण दिखाए गया हो। ये आपके रिफंड का हिसाब लगाने के लिए अत्यावश्यक है।

**TPS** आपकी रिफंड राशि का हिसाब लगाता है और TPS Online में बैंक अकाउंट विवरण प्रदान करने के लिए आपको एक ई-मेल भेजता है।

**आप** TPS Online में बैंक अकाउंट विवरण प्रदान करते/ती हैं। **TPS** आपने नामांकित बैंक अकाउंट में खर्च न की गई ट्यूशन फीस रिफंड करके इसकी प्रतिपूर्ति करता है।

यदि आप एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हैं, **आपको** तीन महीने के अंदर किसी दूसरे प्रदाता के साथ नामांकन कराने की आवश्यकता है ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना जारी रख सकें और अपने स्टुडेंट वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

**आप** ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना जारी रखते हैं।

वेब: [www.tps.gov.au](http://www.tps.gov.au) | ई-मेल: support@tps.gov.au | फोन: 1300 131 798